न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थनापत्र सं. 85/2016

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

मनोहर लाल पुत्र रामदयाल जाति आचार्य ब्राहम्ण निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
—प्रार्थी

♠ बनाम ♠

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

1. पांचू पुत्र रामदयाल
2. गोकल पुत्र रामदयाल
3. गीता पत्नि गोपी
4. गोपी पुत्र रामदयाल
   समस्त जाति कुम्हार निवासीगण बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

———अप्रार्थीगण

5. सुखलाल पुत्र शम्भू जाति कुम्हार निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

———प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 30.06.2018

पत्रावली आज दिनांक 30.06.2018 को केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प बघेरा में पेश हुई। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069—72 के खाता नम्बर 1119 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 4020 रकबा 0.54 है. भूमि प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 5 की संयुक्त खातेदारी, कब्जे, काश्त, स्वामित्व व आधिपत्य की है जिसमें अन्य दीगर व्यक्ति का कोई हक हिस्सा अधिकार नही है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की नियत बद है तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 ने प्रार्थी की आराजीयात के उत्तरी ओर लगवा ही खसरा नम्बर 4015 स्थित है जो कृषि भूमि है के अन्दर एवं प्रार्थी की प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी में करीब 4 फुट अन्दर घुसकर अतिक्रमण करके नीवें खोदकर बिना भूमि रूपान्तरण कराये ही भवन निर्माण करा रहे है तथा मना करने पर लडाई—झगडा करने पर आमादा है तथा प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी की तरफ जंगले, खिडकी, रोशनदान, दरवाजे खोलने की धमकीयां दी। जिसके कारण यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

हमने प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री लेन्सी झंवर उपस्थित ।

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प बघेरा में पेश हुई । हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 5 की स्वयं खातेदारी की आराजीयात होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र प्राईमाफेसाइ केस होना जाहिर होता है तथा प्रार्थनापत्र का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र वाके ग्राम बघेरा बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069—72 के खाता नम्बर 1119 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 4020 रकबा 0.54 है. भूमि का स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण 1 से 4 को जरिये निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि तावाद विचाराधीन होने तक वे मौके की यथा स्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थी की प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 3.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी